



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2019/ज्येष्ठ 31, 1941

No. 370]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2019/JYAISTHA 31, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून 2019

सा.का.नि. 439 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, (एम वी एल), (ई-मेल: jspb-morth@gov.in), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजी जा सकेगी।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 125ज के पहले परंतुक में, खंड (iv) अर्थात्, " कोई परवहन यान जिसके लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञा-पत्र (परमिट) अपेक्षित नहीं होता है " को लोप किया जाएगा।

[फा. सं.आर टी-11028/12/2015-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3 के उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि..... तारीख.....द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2019

G.S.R. 439(E). – The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (____Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules),

(i) in rule 125H, in first proviso, clause no. (iv) namely “Any transport vehicle for which no permit is required under the Act” shall be omitted.

[F.No. RT-11028/12/2015-MVL]
PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R.....(E) dated